गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०एम० सईद): (क) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, अभी तक 113 मृत व्यक्तियों के निकट सम्बन्धियों को 2,48,60,000/-रु० की राशि और 144 घायल व्यक्तियों को 1,79,500/-रु० की राशि दी जा चुकी है।

(ग) वित्तीय सहायता देते समय राज्य सरकार ने दंगाइयों और निर्दोष व्यक्तियों के बीच कोई भेदभाव नहीं बरता है।

(घ) केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों/केन्द्र शासित क्षेत्र प्रशासनों को दिशा-निर्देश जारी किए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ, मृत्यु या क्षमता के मामले में अनुदान के भुगतान के लिए प्रावधान हैं। केन्द्र सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के आधार पर राज्य सरकारों ने दंगों से प्रभावित लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिये मानदण्ड निर्धारित किए हैं।

भोपाल में दंगे

1080. **श्री कैलाश नारायण सारंग:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिसम्बर, 1992 में भोपाल शहर में हुए दंगों में हुई आगजनी, लूटपाट और अन्य घटनाओं में क्षतिग्रस्त हुई सम्पत्ति का कुल मूल्य कितना है, जिन व्यक्तियों की सम्पत्ति को क्षति पहुंची उनका ब्यौरा क्या है तथा उनमें से प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से कितनी हानि हुई;

(ख) जिन व्यक्तियों की सम्पत्ति को क्षति पहुंची थी उन्हें मुआवजे अथवा सहायता के रूप में कितनी धनराशि दी गई है और इन व्यक्तियों को प्रत्येक व्यक्ति की क्षति पर अलग-अलग विचार किए बिना समान रूप से एक निर्धारित धनराशि अदा की गई अथवा प्रत्येक व्यक्ति की सम्पत्ति की क्षति का अलग-अलग आंकलन करने के बाद भिन्न-भिन्न धनराशि अदा की गई; और

(ग) यदि प्रत्येक व्यक्ति की हानि का आंकलन करने के बाद इन धनराशियों का भुगतान किया गया है, तो हानि का आंकलन करने के लिए क्या मानदंड अपनाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० एम० सईद): (क) से (ग) राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, क्षतिग्रस्त हुई सम्पत्तियों का कुल मूल्य अब तक 7.24 करोड़ रुपए आंका गया है। अब तक 6300 मामलों में 2.71 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता का भुगतान किया गया है।

जिन व्यक्तियों की संपत्ति का नुकसान हुआ तथा जिन्हें भुगतान किया गया, उनका ब्यौरा तुरन्त उपलब्ध नहीं है।

दंगों के शिकार हुए व्यक्तियों की सम्पत्ति के नुकसान/हानि के लिए दिए जाने वाली राहत के मानदण्ड राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किए गए हैं। रोजी-रोटी का साधन समाप्त हो जाने, चल सम्पत्ति तथा अथवा पक्का घर/दुकान का नुकसान होने पर विभिन्न राशियां निर्धारित की गई हैं।

Involvement of Punjab terrorists in recent communal disturbances

1081. SHRI MOHAMMED AMIN: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Home Ministry are aware of the involvement of any Punjab terrorists in recent comunal disturbances in the country; and

(b) if so, what are the details?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI RAJESH PILOT): (a) and (b) No such instance has come to the notice of the Govrnment.

Arms smuggle to intensify communal violence

1082. SHRI ASHIS SEN:
SHRI MOHAMMED AMIN:
Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government have specific intelligence reports on the plans to smuggle in arms to intensify the communal violence in the country; and

(b) if so, the details thereof?